

तारीख हुक्म	उपनाम - 222 V15 सुरेन्द्र कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व ता की इस हुक् में जा
30-05-2024	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। SDO Sb. <u>पत्रावली कार्य को पेश होने के</u> कारण पत्रावली वास्ते <u>तनकीदात</u> हेतु दिनांक <u>10-06-2024</u> को पेश हों। 7.6.2024 रीडर	
07.6.24	पत्रावली पेश हुई। उच्चम पत्रकारान उपरि-रू. भा.प. धी P.O. भा.प. भन्मराजनाम में मिला है। प्रतिवादी द्वारा दातावेप धुकी पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते तनकीदात हेतु कार्रवाई दिनांक 19.6.2024 को पेश हो।	
19.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते तनकीदात दिनांक 22-06-2024 को पेश हो।	
24.06.2024	दिनांक 22-06-2024 को शार्वजनिक अवकाश होने के कारण पत्रावली आज पेशी में ली गई। उच्चम पत्रकारान उपस्थित आये हैं। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र/रिकार्ड कर प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि उक्त भूमि को कृषि कार्य तथा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किया हुआ होने कारण उक्त शवा को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। शवा प्रतिवादी के भूमि रूपान्तरण कराने से पहले का पेश किया हुआ है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/रिकार्ड के आधार वादी वाद इसी स्तर से थारिज किया जाता है। पत्रावली वाद तकमील पूर्ति वाजिब नम्बर से कम होकर दाखिल टफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (उमा मित्तल) उपखण्ड आधिकारी। श्रीवृंगरगढ़ (बीकानेर)	

